

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

दिनांक - 19/09/2025

क रीडर/2025/8460

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

जोगेन्द्र 2 देवाराम  
पिसरान अणदाराम 3  
देवी पत्नी जोगेन्द्र 4  
प्रभूलाल पुत्र अणदाराम 5  
रम्भा पत्नी अणदाराम  
जाति जाट निवासी  
जैतपुरा तहसील बाटाडू  
जिला बाडमेर।

1 कोयलीबाई पत्नि मूलाराम 2 मानाराम पुत्र उदाराम 3 मोतीराम पुत्र  
मूलाराम 4 रूपोंदेवी पत्नि उदाराम 5 चूतराराम पुत्र मूलाराम 6  
ठाकराराम पुत्र खेताराम 7 दलपतराम पुत्र मूलाराम 8 धर्मराम पुत्र  
उदाराम 9 नारणाराम पुत्र मूलाराम 10 नीम्वाराम 11 बाबूराम पिसरान  
उदाराम 12 भैराराम पुत्र सोनाराम 13 नेनाराम पुत्र सोनाराम 14  
खेताराम 15 मूलाराम पिसरान सूखाराम 16 आईदानराम पुत्र जेठराम  
17 चन्द्रावती पत्नि जोगाराम 18 जोगाराम पुत्र जेठाराम 19 बाली देवी  
पत्नि स्व. जेठाराम 20 जसराज पुत्र नाथाराम 21 नाथाराम पुत्र  
जीयाराम 22 पूर्णाराम पुत्र नाथाराम 23 शेराराम पुत्र सूखराम 24  
चुनाराम 25 विशनाराम पिसरान पूरणाराम 26 रासिगाराम पुत्र गोपाराम  
27 कमला पुत्री मगाराम 28 केहनाराम दतक पुत्र दूदाराम 29 पदमाराम  
30 रूगाराम पिसरान तेजाराम 31 उदाराम पुत्र चिमाराम 32 नथूदेवी  
पत्नि चिमाराम 33 भोमाराम 34 विशनाराम पिसरान चिमाराम 35 अणदू  
पत्नि स्व. पोकरराम 36 तगाराम 37 रूघाराम पिसरान पोकरराम 38  
कुंभाराम 39 बांकाराम पिसरान नाथाराम 40 मांगी देवी पत्नि तगाराम  
41 खेमीदेवी पत्नि नाथाराम 42 गंगाराम पुत्र नथाराम 43 जमनादेवी  
पत्नि अणदाराम 44 जालूराम पुत्र पनाराम 45 डालूराम 46 पेमाराम  
पिसरान नाथाराम जातियान जाट 47 बाबूपूरी पुत्र लिखमपूरी जाति  
गोस्वामी निवासी जैतपुर (चौखला) तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-393/2025

दिनांक- 15/09/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैतपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा  
संख्या 422 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा संख्या 505/437 रकबा 12.4182 हैक्टेयर, खसरा संख्या  
642/498 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643/498 रकबा 50.3215 हैक्टेयर कुल रकबा 63.3609  
हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को  
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व  
पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 19/09/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/8461-8464

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करके
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रकबे उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण जोगेन्द्र पुत्र अणदाराम वगैराह जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण कोयलीबाई पत्नी मूलाराम वगैराह जाति जाट निवासी जैतपुरा1 तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर